

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR**

Endorsement No. C/1889/  
II-4-1/2010

Jabalpur, dated 6/02/2025

Copy of the notification of the Government of M.P. F. No. 526/21-B(1)/2025; Bhopal dated 04.02.2025, issued in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act; 2015, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, all in the State for information and necessary action. The Principal District and Sessions Judge; Indore for information and necessary action with request that the notification may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

  
RITURAJ SINGH CHOUHAN  
REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक ५ /02 /2025

फा0 क्र0 526/21-ब(एक) /2025- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 3क के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-17-2016/इक्कीस-ब(एक)-2311-2019, दिनांक 04 मई, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे सारणी के कॉलम संख्या (3) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को उसकी कॉलम संख्या(2) में दर्शित जिले और उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात:-

सारणी

अनु.क्र. (1)	जिला (2)	जिला न्यायाधीश स्तर (3)
"1.	इन्दौर	श्री उमेश कुमार पटेल, तीसरे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर।"

F.NO. 526/XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 ( 4 of 2016) and in light of this department's Notification F.No.17(E)/17/2016-XXI-B (1)/2311-2019 dated 4<sup>th</sup> May, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17<sup>th</sup> May, 2019 issued under **section 3-A** of the said Act, the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge Level shown in column number (3) of table below for the District shown in column number (2) thereof and District falling under it, to be a Judge of Commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :-

2.....

//2//

TABLE

S.No.	District	Judge-District Judge Level
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Shri Umesh Kumar Patel, XXX <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge, Indore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह )  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 526/21-ब(एक) /2025  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 11/02/2025

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/88746/II-4-1/2010, दिनांक 17.12.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर (म० प्र०) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(निलेश यादव)  
अतिरिक्त सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

# मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक ५ /02 /2025

फा0 क्र0 526 /21-ब(एक) /2025- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा.क्र17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक)-2311-2019, दिनांक 04 मई, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 17 मई, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, नीचे सारणी के कालम संख्या (3) में दर्शित जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को कालम संख्या (2) में दर्शित जिले और उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

### सारणी

अनु.क्र.	जिला	जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"1.	इन्दौर	श्री उमेश कुमार पटेल, तीसरे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, इन्दौर।"


F.NO. 526/XXI-B(1)/2025- In exercise of the powers conferred by section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) and in light of this Department's Notification F.No.17(E) 17-2016-XXI-B (1) 2311/2019 dated 04<sup>th</sup> May, 2019, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 17<sup>th</sup> May, 2019 issued under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Commercial Court, Act 2015 ( 4 of 2016), the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officer of District Judge Level shown in column number (3) of the table below for the District shown in column number (2) and Districts falling under it, to be a Judge, to deal with cases pertaining to commercial and financial disputes under **sub-section (3) of section 3** of the said Act,, namely :-

2.....

TABLE

S.No.	District	Name of the Judge (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Shri Umesh Kumar Patel, XXX <sup>th</sup> District & Additional Sessions Judge, Indore."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


  
( नरेन्द्र प्रताप सिंह )  
प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ0 क्र0 526/21-ब(एक) /2025  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ५/02 /2025

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/8746/II-4-1/2010, दिनांक 17.12.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (म0प्र0),  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
5. शाखा प्रभारी, आय0 टी0 शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

  
(निलेश यादव)  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

06